


बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
अधिसूचना

सं०सं०-01/स्था० (का०अ०)-16/2018 /न०वि०एवंआ०वि०। जिला पदाधिकारी, गया के आदेश ज्ञापांक 1380 दिनांक 12.11.2018 के आलोक में श्री नलीन कुमार, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, टिकारी को बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 41 के अन्तर्गत अपने कार्यों के अतिरिक्त तात्कालिक प्रभाव से अगले आदेश तक नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत टिकारी का कार्य करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

ह०/-
(राम सेवक प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-01/स्था० (का०अ०)-16/2018 1152 /न०वि०एवंआ०वि०, पटना, दिनांक-15/02/19
प्रतिलिपि :- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, गया/जिला पदाधिकारी, गया/श्री नलीन कुमार, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, टिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के आप्त सचिव/श्री अमितेश कुमार, आई०टी० प्रबंधक, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के अवर सचिव।